वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 18.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, भारत एकता टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 18.02.2025

वीडीए ने ध्वस्त कराई अवैध प्लॉटिंग

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोमवार को अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि शिवपुर वार्ड के परमानंदपुर होलापुर के विनीत पांडेय ने 4 हजार वर्गफीट में अवैध प्लॉटिंग विकसित की थी। पूर्व में अवैध निर्माण पर नोटिस दिया गया था, लेकिन नहीं मानने पर प्रवर्तन टीम ने ध्वस्त कराया। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्यूरो

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 18.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी। जोन–1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी ।वार्ड– शिवपुर के अन्तर्गत विनीत पाण्डेय द्वारा मौजा– प्ररमानन्दपुर, होलापुर थाना–शिवपुर में लगभग 4000 वर्गफीट में की अवैध प्लाटिंग बिना ले –आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी,उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धारा–27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 17.02.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी

मिश्रा,अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले–आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 18.02.2025

वीडीए जोन-1 ने की अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड- शिवपुर के अन्तर्गत विनीत पाण्डेय द्वारा मौजा- परमानन्दपुर, हेलापुर थाना- शिवपुर में लगभग 4000 वर्गफीट मे की अवैध प्लाटिंग बिना ले - आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी,उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी.।

भारत एकता टाइम्स–दि0 18.02.2025

वीडीए ने ध्वस्त कराया अवैध प्लाटिंग

वाराणसी। विकास प्राधिकरण जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। वार्ड-शिवपुर में बिना नक्शा और ले-आउट स्वीकृत कराए 4 हजार वर्गफीट में कराए जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया। साथ ही लोगों को बगैर अनुमति निर्माण न कराने की हिदायत दी। शिवपुर वार्ड के होलापुर परमानंदपुर में विनीत पांडेय की ओर से बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 4 हजार वर्गफीट में अवैध तरीके से प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसकी जानकारी होने पर नोटिस जारी की गई थी। वहीं सोमवार को जोनल ,अधिकारी शिवाजी मिश्रा और अवर अभियंता प्रिया अग्रहरि के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। विकास प्राधिकरण ने जेसीबी से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने लोगों से अपील किया कि स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें। बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई भी निर्माण कार्य न करें। अन्यथा, अवैध निर्माण पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।